न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/325

दायरा तिथि : 26.08.2022

आदेश तिथि : 17-10-2022

प्रार्थी :–

हार्दिक अग्रवाल पुत्र श्री देवराज जाति अग्रवाल
निवासी 1–साई कॉलोनी गली नं. 5 आदर्श नगर, पोस्ट आफिस के पीछे, सुमेरपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 17-10-22

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 413, 414 रकबा 0.7400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व खसरा नं. 597/415 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए जो रास्ता ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 599/433 रकबा 0.12 हैक्टर में मौके पर उपलब्ध है, उस रास्ता की चौडाई मौके पर **चार मीटर ही** होने से तथा रास्ता लम्बाई में होने से ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि सयंत्र लाने ले जाने में कठिनाई होने से धारा 251(ए) के तहत वर्तमान में मौजुद रास्ता को 10–15 मीटर तक चौडा किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया, जिस **नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित** अनुसार **उपलब्ध रास्ता को चौडा किये जाने** पर ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 600/433 व खसरा नंबर 598/433 की भूमि प्रभावित होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2777 दिनांक 27.09.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.यह है कि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 413, 414 रकबा 0.7400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व खसरा नं. 597/415 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री हार्दिक अग्रवाल पुत्र श्री देवराज अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सुमेरपुर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध व प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं हैं। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित भूमि से ही आवागमन करता है।

2. यह है कि वर्तमान में ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 599/433 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसकी राजस्व रेकर्ड अनुसार चौडाई 4 मीटर दर्ज है। लेकिन रास्ते के आसपास की भूमि खसरा नंबर 598/433 व खसरा नंबर 600/433 सरकारी होने से रास्ता मौके पर लगभग 10 मीटर चौडा है।. जिससे आवेदक प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त रास्ते का विस्तार करवाना चाहता है।

3. मौजूद रास्ते का विस्तार करने हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	598/433	3.60	गै.मु.भाखर	330X 3.09= 1020 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2	600/433	12.67	गै.मु.भाखर	330X2= 660 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी.दर 83633/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/325

अनवान हार्दिक बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पैरोकार सरकार की दलीलो का सुना गया। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में वर्णित विधि के प्रावधानो का अवलोकन किया। 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्क का विस्तार करना (i) जहां–
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–
और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथस्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के प्श्चात् उसका समाधान होता है कि–
(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधान का अभाव सिद्व किया गया है:–

तो आदेश द्वारा, आवेदन को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मेंसे होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए **या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को**, जो उस भूमि को धारित करता है, एक नया मार्ग बनाने या **विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये**, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड रास्ता 4 मीटर ही चौडा होने से तथा **मौके पर राजकीय भूमि पर ही रास्ता 10 मीटर चौडा होने से उपलब्ध रास्ते का का विस्तार** करवाना चाहता है। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक : राजस्व/2022/2777 दिनांक 27.09.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 413, 414 रकबा 0.7400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व खसरा नं. 597/415 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में **आवागमन हेतु विद्यमान् रेकर्डेड रास्ता खसरा नंबर 599/433 रकबा 0.12 हैक्टर मौके पर 4 मीटर ही चौडा होने से** राजकीय **सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा के खसरा नंबर 598/433 रकबा 3.60 हैक्टर व खसरा नंबर 600/433 रकबा 12.67 हैक्टर मेंसे कुल 1680 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा **हैक्टर में**	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 83633/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
598/433	3.60	330X3.09=1020 वर्गमीटर	8.4	**8568 X2=17136**	राजकीय सिवायचक
600/433	12.67	330X2= 660 वर्गमीटर	8.4	**5544X2=11088**	राजकीय सिवायचक
		कुल रकबा 1680 वर्गमीटर	.	कुल राशि 28224/– रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **28224/– (अक्षरे अठाईस हजार दो सौ चौबीस रूपये मात्र) रूपये** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष में जमा कराये जायेंगें। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
...जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/325

अनवान हार्दिक बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज)

पत्रांक : कोर्ट/2022/3666-70
दिनांक : 17-10-22

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
3. पटवारी हल्का सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हार्दिक अग्रवाल पुत्र श्री देवराज जाति अग्रवाल निवासी 1–साई कॉलोनी गली नं. 5 आदर्श नगर, पोस्ट आफिस के पीछे, सुमेरपुर को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)